न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 83/2024 दायर दिनाँक 30.04.2025

वादी		प्रतिवादी
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व महेन्द्रसिंह जाति रावणा निवासी गिरधारीपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री नरेन्द्रसिंह एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा के खेत खसरा सं. 111 रकबा 0.7100 हैक्टे0,खसरा सं. 112 रकबा 0.2400 हैक्टे0, खसरा सं. 113 रकबा 0.2300 हैक्टे0, कुल खसरा 03 रकबा 1.1800 हैक्टे0 भूमी स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह के बजाये गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह अंकित किया हुआ है जिसकी जानकारी दिनांक 09.06.2023 को नकल खतौनी लेने पर वादी को हुई। राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से वादी के जायज अधिकार खतेरे में पड़ गये है। प्रार्थी अपने पिता के गलत अंकित नाम का दरूस्त करवाकर अपना सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तोर पर हकदार है अतः वादी को यह दावा करना लाजमी हुआ है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम गिरधारीपुरा के खेत खसरा सं. 111 रकबा 0.7100 हैक्टे0,खसरा सं. 112 रकबा 0.2400 हैक्टे0, खसरा सं. 113 रकबा 0.2300 हैक्टे0, कुल खसरा 03 रकबा 1.1800 हैक्टे0 की भूमि में गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह संयुक्त खातेदारी में वादी के पिता का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर महेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रीडर/2024/36 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्वन्धी विधि का अध्ययन [illegible] खसरा सं. 111 रकबा 0.7100 हैक्टे0, खसरा सं. 112 रक[illegible]टे0, खसरा सं. 113 रकबा 0.2300 हैक्टे0, [illegible] गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह के स्थान पर वादी अपने [illegible] का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह दुरूस्त करवाने [illegible] तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम मौजा गिरधारीपु[illegible] नामान्तकरण संख्या 49 विरासत से गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह जाति दरोगा सह खातेदारी में दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में नाम गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह दर्ज हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

जबकि वादी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार यह खातेदारी विरासत के आधार पर दर्ज हुई है। विरासत का नमान्तकरण जांच के उपरांत निर्णित किया गया है। विरासत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद ग्राम गिरधारीपुरा के खेत खसरा सं. 111, 112, 113 में के गिरधारीसिंह पुत्र रावतसिंह स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र रावतसिंह दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested